14-01-20

पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। न्यायालय समय में तीन बार रुक रुक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वादी अथवा वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। ~~इस~~ जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है एवं इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है।

अतः प्रकरण वादी के अनुपस्थित रहने से अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो।

Sd/- 14

अखण्ड अधिकारी
बड़गाँव, जिला—उदयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 15:28:24 IST
Reason: SelfAttested